राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 5110–5310 दिनांक 05/11/2020

स्मरण पत्र-I

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त।

विषय:–जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि में से जल संरक्षण कार्यों हेतु उपयोग के लिए एजेण्डा।

सन्दर्भ:–1. शासन सचिव, वित्त (बजट) का अ.शा.टीप क्रमांक प.9(1) वित्त / व्यय–3 / 2016 दिनांक 04.09.2020
2. वित्त (कर) विभाग का आदेश क्रमांक 101 दिनांक 18.11.2015
3. विभागीय पत्रांक 1070–1265 दिनांक 01.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दु सं. 1 पर संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन सचिव, वित्त (बजट) द्वारा अवगत कराया गया है कि, जल संरक्षण उपकर समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है। इस बैठक हेतु वर्ष 2019–20 में जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध प्राप्त राशि में से जल संरक्षण के कार्यों हेतु एजेण्डा वित्त (व्यय–3) को भिजवाया जाना है, ताकि निधि में उपलब्ध राशि के उपयोग हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

आपको बिन्दु सं. 3 पर संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि आप अपनी नगरीय निकाय में बिन्दु सं. (2) पर संदर्भित आदेश क्रमांक के दिशा–निर्देश क्रमांक (8) में वर्णित जल संरक्षण संबंधी कार्यों जैसे अनुपयोगी भूमि पर वृक्षारोपण तथा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण आदि के कराए जा सकने वाले तकनीकी एवं प्रशासनिक दृष्टि से संभव नवीन कार्यों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर ई–मेल के माध्यम से **cedlbjp@gmail.com** पर 3 दिवस में प्रेषित करें, परंतु बड़े ही खेद का विषय है कि आज दिनांक तक उपरोक्त सूचना निदेशालय में अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर ई मेल के माध्यम से **cedlbjp@gmail.com** पर 3 दिवस में प्रेषित करें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 5311-5356 दिनांक 05/11/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. प्रोग्रामर (आई टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

5/11/20
(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

जल संरक्षण उपकर की निधि से वर्ष 2020–21 में कराए जा सकने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	संभाग	नगरीय निकाय	कार्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (राशि रू. लाख में)

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका

.....

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक एफ 55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 1070 — 1265 दिनांक 01/10/2020

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त।

विषयः–जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध वर्ष 2019–20 मे प्राप्त राशि मे से जल संरक्षण कार्यों ... उपयोग के लिए एजेण्डा।

सन्दर्भः–1. शासन सचिव, वित्त (बजट) का अ.शा.टीप क्रमांक प.9(1) वित्त / व्यय 3 / 2016 दिनांक 04.09.2020

2. वित्त (कर) विभाग का आदेश क्रमांक 101 दिनांक 18.11.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दु सं. 1 पर संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन सचिव, वित्त (बजट) द्वारा अवगत कराया गया है कि, जल संरक्षण उपकर समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है। इस बैठक हेतु वर्ष 2019–20 में जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध प्राप्त राशि में से जल संरक्षण के कार्यों हेतु एजेण्डा वित्त (व्यय–3) को भिजवाया जाना है, ताकि निधि में उपलब्ध राशि के उपयोग हेतु अग्रिम निर्णय लिया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी नगरीय निकाय में बिन्दु सं. 2 पर वर्णित आदेश क्रमांक के दिशा–निर्देश क्रमांक (8) में वर्णित जल संरक्षण संबंधी कार्यों जैसे अनुसार ... वृक्षारोपण तथा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण आदि के कराए जा सकने वाले तकनीकी एवं ... दृष्टि से संभव नवीन कार्यों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर ई–मेल के माध्यम से cedlbjp@gmail.com पर 3 दिवस में प्रेषित करें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (संदर्भ- 1 एवम 2.)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक एफ 55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 1266 — 1310 दिनांक 01/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

अति0 मुख्य अभियन्ता

1 | 100920135

डि
10/9

6567
9/9/2020

राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय–3) विभाग

For
11/09/2020

विषय : जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में प्राप्त राशि में से जल संरक्षण कार्यों हेतु उपयोग के लिए एजेण्डा भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जल संरक्षण उपकर समिति की शीघ्र ही बैठक आयोजित की जानी है। अनुरोध है कि वर्ष 2019–20 में जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध प्राप्त राशि में से जल संरक्षण के कार्यों हेतु अतिशीघ्र एजेण्डा वित्त (व्यय–3) विभाग को भिजवाने का श्रम करावें, ताकि जल संरक्षण उपकर समिति की शीघ्र बैठक आयोजित कर बैठक में निधि में उपलब्ध राशि के उपयोग हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

DLB
PD, RIDTOP
EN RWRSJDO

शासन सचिव, वित्त (बजट)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा0 अभि0 विभाग
शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

08/9/2020

SLR
9-9

अ0शा0 टीप क्रमांक : प09(1)वित्त / व्यय–3 / 2016
जयपुर, दिनांक : 04.09.2020
08

F.A.
10/9/20

CE
11/09

ACE(PHE)
EE(L/S)
AE(PM)
MB 11/9
14/9

D:\Expenditure-III\S Mahicha Gen. Letter.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः प.12(86)वित्त / कर / 2010–10। जयपुर, दिनांक 13.11.2[illegible]

आदेश

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 (ख) के अन्तर्गत जल संरक्षण उपकर के उद्ग्रहण का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 (ख) की उप धारा (3) के अनुसार "इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर चिन्हित होगा और राज्य में जल संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण उपकर को चिन्हित करने तथा जल संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1 संगृहीत जल संरक्षण उपकर राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0043–विद्युत कर तथा शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियां, (04)–जल संरक्षण उपकर में जमा किया जाता है। इस बजट शीर्ष का नियंत्रण अधिकारी आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग है। इस बजट शीर्ष का महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान का कार्य भी आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ही किया जाता है।

2. जल संरक्षण उपकर के लिए वाणिज्यिक कर विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। नोडल विभाग के रूप में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्नानुसार बजट शीर्ष खुलवाये जायेंगे --

(i) "जल संरक्षण उपकर निधि" का लोक लेखा बजट शीर्ष।

(ii) निधि में हस्तांतरण हेतु लघु बजट शीर्ष 797–आरक्षित निधियों / जमा लेखों का अंतरण।

(iii) व्यय करने हेतु बजट शीर्ष (इस बजट शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के ग्रुप बजट शीर्ष)

(iv) वास्तविक व्यय का निधि से पुनः भरण हेतु बजट शीर्ष।

इन समस्त बजट शीर्षों में आवश्यक प्रावधान बी.एफ.सी. के समय नोडल विभाग द्वारा करवाया जायेगा। निधि में बजट का अन्तरण एवं व्यय जल संरक्षण समिति की अनुशंषा के आधार पर ही किया जायेगा। बजट प्रावधान, व्यय, निधि में अन्तरण, निधि से पुनर्भरण, महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान इत्यादि समस्त कार्य नोडल विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

3. राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0043–विद्युत कर तथा शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियां, (04) जल संरक्षण उपकर में जमा जल संरक्षण उपकर की राशि को "जल संरक्षण उपकर निधि" में अन्तरण करने हेतु राजस्व व्यय के अन्तर्गत एक बजट शीर्ष खोला जायेगा। उक्त बजट शीर्ष से बजट प्रावधान के अनुसार राशि सम्बन्धित बजट नियंत्रण अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के आधार पर निधि में हस्तांतरित की जायेगी।

4. 'जल संरक्षण उपकर निधि' के गठन के उपरान्त इसका लेखांकन लोक लेखा भी एक समुचित बजट शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. जल संरक्षण उपकर निधि में जमा राशि का उपयोग/व्यय करने हेतु राजस्व व्यय शीर्ष के अन्तर्गत एक अन्य बजट शीर्ष खोला जाकर उसमें वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्यय की अनुमति बी.एफ.सी. के माध्यम से ली जायेगी। जल संरक्षण उपकर निधि में जमा राशि के व्यय हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में पृथक–पृथक विभागों (यथा–जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग आदि) हेतु उपयोग/व्यय किए जाने के लिए मुख्य हैड खोले जाएँगे। व्यय जल संरक्षण उपकर समिति की अनुशंसा से ही किया जायेगा।

6. राशि के उपयोग अर्थात व्यय हेतु खोले जाने वाले बजट शीर्षान्तर्गत होने वाले सम्पूर्ण व्यय का पुनर्भरण प्रस्तावित निधि से करने के लिए नोडल विभाग द्वारा व्यय शीर्ष के अन्तर्गत एक और लघु बजट शीर्ष 902- घटाईये खुलवाया जाएगा। इस बजट शीर्ष से ही राशि का पुनर्भरण प्रस्तावित निधि में किया जा सकेगा।

7. जल संरक्षण उपकर निधि में जमा राशि का उपयोग जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों/परियोजनाओं/योजनाओं में निम्न विभागों द्वारा किया जायेगा :

(i) जल संसाधन विभाग।
(ii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
(iii) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण) विभाग।
(iv) कृषि विभाग।
[redacted]
(vi) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
(vii) जल उपयोग से सम्बन्धित अन्य विभाग।

8. [redacted] जल संरक्षण उपकर निधि में जमा राशि का उपयोग निम्नांकित जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यों/परियोजनाओं/योजनाओं में किया जायेगा :

- जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य (Contour bunds, Anicuts, Khadin, Tanka, Earthen check dams, Loose stone check dams, Gabions, Dug out [redacted]ponds, pasture development, bank stabilization, Afforestation on wastelands and [redacted] belt plantation, Sand dune stabilization etc.)
- जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण (Construction of water - harvesting structure & both for collecting the run off as well as for ground water recharge).

- दैनिक जीवन में जल संरक्षण की ओर उन्मुख करने के लिए सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण (To inform, educate and sensitize to initiate and sustain the habit of conserving water in day to day life).
- जल संरक्षण सम्बन्धी अन्य उपयोगी कार्य

9. जल संरक्षण उपकर निधि में जमा राशि का उपयोग जल संरक्षण कार्यों में किया जाने हेतु "जल संरक्षण उपकर समिति" का गठन किया जायेगा, जिसके गठन प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
10. वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग होगा।

18/11/15

(डॉ0 देवराज)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग।
12. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
13. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

18/11/15

संयुक्त शासन सचिव